राजस्थान सरकार

राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण

इन्दिरा गांधी नहर भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर

ई–मेल– cerrbwrpa@gmail.com फोन नम्बर– 0141–22274413

क्रमांकः एफ. 1( )स्टोर/रारिबे/2017–18/ दिनांक :

बिड सूचना संख्या 1/2017–18

(Item No.2)

राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर कार्यालय हेतु 4 मशीन विद् मैन प्रशिक्षित कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराने हेतु दर संविदा करने के लिये मोहरबन्द खुली बोली/बिड आमंत्रित की जाती है :–

बिड संख्या	1/2017–18 (Item No.2)
बिड का संक्षिप्त विवरण	प्राधिकरण कार्यालय हेतु 4 मशीन विद् मैन प्रशिक्षित कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध करवाने हेतु
बिड की अनुमानित लागत	रूपये 04.08 लाख
बिड विक्रय करने की दिनांक एवं समय	प्रारम्भ दिनांक 20.04.2017 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 10.05.2017 सायं 5.00 बजे तक
बिड प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक व समय	दिनांक 11.05.2017 अपरान्ह् 2.30 बजे तक
बिड खोलने का दिनांक :–	दिनांक 11.05.2017, समय 3.00 बजे
बोली प्रतिभूति @2%	रूपये 8,160/–बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक **आयुक्त, राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर** के पक्ष में देय
बिड प्रपत्र की कीमत	रूपये 400/–बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक **आयुक्त, राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर** के पक्ष में देय
बिड प्राप्ति/जमा/ खोलने का स्थान एवं दिनांक :–	राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, इन्दिरा गांधी नहर भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर दिनांक 11.05.2017, समय 3.00 बजे
बिड हेतु अधिकृत अधिकारी	अधिशाषी अभियन्ता (प्रशासन) फोन नम्बर– 0141–22274413

1. उक्त कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना एवं स्पष्टीकरण हेतु किसी भी कार्य दिवस में इस कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
2. प्राधिकरण कार्यालय के कर्मचारी व उनके नजदीकी रिश्तेदार इस बोली में भाग लेने के हकदार नहीं हैं।
3. बोली प्रस्ताव पूर्ण रुप से भरा हुआ मय हस्ताक्षर एवं संलग्नों के साथ उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त बिड बिना किसी विचार के निरस्त कर दी जावेगीं। बोली प्राप्त होने में हुई देरी के लिये विभाग किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं होगा।
4. बोली प्रस्ताव निम्नानुसार एक लिफाफे में प्रस्तुत करे।
5. बोली के साथ निम्न दस्तावेज मय हस्ताक्षर तथा वांछित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
   1. प्रपत्र प्रथम (परिशिष्ट–1) बोली दाता का विवरण
   2. परिशिष्ठ–2 बोली कार्य का विवरण, सामान्य नियम एवं शर्ते (सभी पृष्ठ हस्ताक्षरित)
   3. बिड प्रपत्र की राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक
   4. बोली प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक
   5. फर्म/प्रोपराइटर के पैन कार्ड की फोटो प्रति।
   6. फर्म/प्रोपराइटर के बैंक खाते के निरस्त चैक की प्रति।
   7. बिडदाता का यदि सेवाकर का पंजीयन प्रमाण पत्र है तो बिडदाता का सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति एवं 31 मार्च, 2016 तक का सेवाकर चुकता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
   8. परिशिष्ठ–3 वित्तीय बोली।

<u>नोटः–</u> बिड प्रपत्र की कीमत एवं बोली प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंक का चैक अलग–अलग प्रस्तुत करें।

अधिशाषी अभियन्ता

रा.रि.बे. एवं ज.सं.यो.प्रा., जयपुर

राजस्थान सरकार
राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण
इन्दिरा गांधी नहर भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर
ई–मेल– cerrbwrpa@gmail.com फोन नम्बर– 0141–22274413

बिड सूचना संख्या 1/2017–18
(Item No.2)

(बोली के साथ संलग्न करे)
परिशिष्ट– I

क्र.सं.	विवरण	बिड दाता द्वारा भरा जाना है
1	फर्म/संस्था/बिड दाता का नाम	
2	फर्म/संस्था/बिड दाता का अधिकृत पता	
3	फर्म/संस्था/बिड दाता के अधिकृत व्यक्ति का नाम	
4	मोबाईल नं.	
	ईमेल आई.डी.	
5	फर्म/संस्था/बिड दाता का पैन कार्ड नं.	
6	फर्म/संस्था/बिड दाता के बैंक खाते का विवरण	
	बैंक का नाम	
	शाखा का नाम	
	खाता संख्या	
	आई.एफ.एस.सी. कोड	
7	फर्म/संस्था/बिडदाता के पंजीयन का विवरण (किसी भी सक्षम राजकीय ऑथोरिटी से जारी किया हुआ)	
8	सेवाकर यदि है तो सेवाकर विभाग का पंजीयन संख्या एवं सेवाकर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जो 31 मार्च, 2016 से पूर्व का न हो	
9	विगत वर्षों में इस प्रकार के किए गए कार्य का विवरण (दस्तावेज संलग्न करें)	

हस्ताक्षर, मोहर
एवं दिनांक सहित

राजस्थान सरकार

राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण

इन्दिरा गांधी नहर भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर

ई–मेल– cerrbwrpa@gmail.com फोन नम्बर– 0141–22274413

बिड सूचना संख्या 1/2017–18

(Item No.2)

(बोली के साथ संलग्न करे)

परिशिष्ट– II

बोली कार्य का विवरण, सामान्य नियम व शर्ते

1. **कार्य का विस्तृत विवरण** – प्राधिकरण कार्यालय हेतु 4 मशीन विद् मैन प्रशिक्षित कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध करने हेतु वर्ष भर के लिये दर संविदा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत्।
2. **बिड की सामान्य शर्ते** –
    1. 4 मशीन विद् मैन प्रशिक्षित कम्प्यूटर ऑपरेटर की आपूर्ति राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–9 (1)/एफडी.1(1) बजट/2014, जयपुर दिनांक 28.07.2008 एवं एफ–9 (1)/एफडी.1(1) बजट/2012, जयपुर दिनांक 01.07.2015 में वर्णित प्रावधान अनुसार होगी।
    2. बिड दरों में श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावें। बिडदाता द्वारा अति न्यूनतम दर देने पर बिड पर विचार नही किया जायेगा।
    3. बिड में प्रस्तुत दरें अंकों एवं शब्दों में सुस्पष्ट होनी चाहिए तथा दरों में किसी भी प्रकार का ऊपरीलेखन नही होना चाहिए।
    4. प्राधिकरण में उपलब्ध कराये जाने वाले कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यू.पी.एस. वित्त विभाग द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार एवं प्रशिक्षित कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्मिकों की न्यूनतम योग्यता वित्त विभाग के परिपत्र एवं वर्णित शर्तो के अनुरूप होनी चाहिए।

    6\. बिडदाता को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद भी कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाला नया टॉनर/नया रिबन प्रथम बार बिडदाता द्वारा दिया जायेगा तत्पश्चात विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्य स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी बिडदाता की होगी।

    5\. कम्प्यूटर (उपकरणों) की चोरी आदि की जिम्मेदारी विभाग की नही होगी। यदि बिडदाता चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।

    6\. गैर सरकारी संस्था/प्लेसमेंट एजेन्सी का नियमानुसार रोजगार निदेशालय/राज्य सरकार/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में पंजिकृत होना आवश्यक है। बिड के साथ एजेन्सी रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें।

    7\. एजेन्सी/संस्था को कम से कम तीन वर्षो का राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/निगमों/कार्पोरेशनों/स्वायत्त शासन निकायों में कार्मिक उपलब्ध कराये जाने का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।

    8\. प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं के नाम से मुद्रित उपस्थिति पंजिका रखनी होगी। जिसमें एजेन्सी/संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्मिकों के हस्ताक्षर अंकित करने होंगे।

    9\. विगत वर्षो मे संस्थाओं/विभागों में किए गये इस प्रकार के कार्यो के संबंध में संतोषजनक सेवाओं का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

    10\. बिड में वर्णित शर्तो का पालन न करने पर अनुबन्ध तुरन्त समाप्त करते हुए भविष्य में आमन्त्रित की जाने वाली बिड में भाग लेने हेतु ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।

    11\. यदि बिडदाता फर्म पर सर्विस चार्जेज देय है तो बिड में चार्ज की जाने वाली सर्विस चार्जेज की दर प्रतिशत में देनी होगी। सर्विस चार्जेज चुकता प्रमाण पत्र एवं रसीदें संबंधित विभाग से प्राप्त कर संलग्न करना होगा।

    12\. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर आयुक्त, रा.रि.बे. एवं ज.सं.यो.प्रा. का निर्णय अंतिम होगा।
3. **अनुबन्ध अवधि** – कार्यादेश जारी होने के बाद 1 वर्ष की होगी। जिसे राजस्थान लोक उपापन पादर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानो के अनुसार दोनो पक्षो की सहमति से आगे बढाया जा सकेगा।
4. **बिड प्रतिभूति राशि** –
    1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम 42 के तहत बिड के साथ अनुमानित लागत की दो प्रतिशत बिड प्रतिभूति राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/नकद जमा कराने की रसीद संलग्न करनी होगा। अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। बिड प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक **आयुक्त, राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर** के पक्ष में देय होगा।

2. बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक जारी करने वाले बैंक की जयपुर में कम से कम एक शाखा होनी चाहिये । बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक बोली खोलने की तारीख से तीन महिने की अवधि (90 दिन) के लिए वैध होना चाहिये ।
3. बिड कर्ता के लिए अपने प्रस्ताव को वापस लेने/नियम और शर्तो में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि बिड दाता द्वारा निर्धारित नियम व शर्तो का पालन नहीं किया जाता है या उल्लेखित दरों पर कार्य करने से मना किया जाता है तो उपरोक्त राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जावेगी।

5. **बोली प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करना** – बोली प्रस्ताव बिड डॉक्यूमेन्ट्स में दिये गये निर्देशानुसार सीलबंद कर प्रस्तुत करना होगा।

6. **वित्तीय बोली** :–वित्तीय बोली परिशिष्ठ III में उपलब्ध प्रपत्रानुसार भरकर मुहरबंद लिफाफे में रखें।
   1. बोली प्रस्ताव बिड डॉक्यूमेन्ट्स में दिये गये निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार किया जायेगा।
   2. मशीन विद् मैन प्रशिक्षित कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–9 (1)/ एफडी.1(1) बजट/2012, जयपुर दिनांक 01.07.2015 में वर्णित राशि से अधिक दरों के प्रस्ताव स्वीकार नही होंगे। इस हेतु बिड प्रस्तुत करने से पूर्व वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 01.07.2015 का अध्ययन अवश्यक कर लेवें।

7. **बोली खोलने की प्रकिया** – बोली निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित बोली दाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली व पढी जावेगी । बोली दाता या उसका एक अधिकृत प्रतिनिधि बोली खुलते समय उपस्थित रह सकता है । अधिकृत प्रतिनिधि की स्थिति में अधिकृति पत्र एवं उसका पहचान पत्र साथ में होना आवश्यक है। बोली दाता अथवा उसका प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं होने पर बोली, सक्षम अधिकारी/कमेटी द्वारा खोल ली जाएगी। जिस पर किसी प्रकार का विवाद भविष्य में स्वीकार योग्य नहीं होगा।

8. **बोली स्वीकार करने का अधिकारी** – विभाग के पास (1) नियम व शर्त बदलने (2) बिना कारण बताए निर्देशों की अनुपालना नहीं करने वाले बिडदाताओं की बोली दरें न्यूनतम होने पर भी निरस्त करने के अधिकार सुरक्षित हैं । इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा । यदि आवश्यक हो तो सामान्य वित्तीय व लेखा नियमों के अन्तर्गत दरें कम करवाने हेतु समझौता किया जा सकता है ।

9. **बोली स्वीकार करने की सूचना** – सफल बिडदाता को उसकी बोली स्वीकार करने, कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा करवाने की अवधि हेतु सूचना भेजी जावेगी ।

10. **कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि** –
    1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 के तहत सफल बिडदाता को बोली स्वीकार कर कार्यादेश देते ही कार्य की स्वीकृत लागत का 5 प्रतिशत कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जयपुर में भुगतान योग्य बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक द्वारा **आयुक्त, राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर** के पक्ष में देय होगी । उक्त कार्य हेतु पूर्व में जमा बोली प्रतिभूति राशि का समायोजन करते हुये अंतर की राशि जमा करवायी जा सकती है या पूर्व में जमा प्रतिभूति राशि वापिस लेकर कार्य सम्पादन हेतु निष्पादन प्रतिभूति राशि नये सिरे से जमा करवायी जा सकती है ।
    2. कार्य में लापरवाही बरतने असंतोषजनक कार्य व कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने की स्थिति में राशि जब्त करली जावेगी।

11. **कार्य स्थानान्तरण** – बोली दाता कार्य या कार्य का कोई भाग किसी अन्य संस्था/एजेन्सी से सम्पन्न नहीं करवा सकता है।

12. बोली दाता और उसका प्रतिनिधि विभाग के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को बोली हेतु किसी भी प्रकार की भेंट, राशि इत्यादि उपलब्ध नहीं करवाएगा। यदि इस प्रकार की कोई गतिविधि पायी गयी तो बोली निरस्त कर दी जावेगी ।

13. **भुगतान की शर्ते** –
    1. कार्यालय द्वारा एजेन्सी/संस्था को रेखांकित चैक द्वारा भुगतान किया जावेगा तथा एजेन्सी/संस्था भी उपलबध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्मिकों को भुगतान चैक से करेगी। इस बात का प्रमाण पत्र बिड दाता संस्था द्वारा दिया जायें। यदि एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों से भुगतान के संबंध में शिकायत प्राप्त होती हैं तो विभागीय समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उसके उपरान्त ही संस्था को भविष्य में भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
    2. भुगातन में नियमानुसार टीडीएस की कटौती अनिवार्य रूप से की जायेगी।
    3. सेवाएं संतोषजनक नहीं पाए जाने पर भुगतान में से कटौती की जाएगी। कटौती का आंकलन विभाग द्वारा किया जाएगा।

14. **कानून की पालना** – बोली दाता को राज्य में प्रचलित समस्त नियमों/उपनियमों, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इनमें किये गये संशोधनों का पालन करना होगा तथा राज्य में लागू सभी प्रकार के करों को चुकाने की जिम्मेदारी वहन करनी होगी।

15. **अपील/मध्यस्थता** – किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में विवाद का निस्तारण Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013 के अध्याय 7 के अनुसार किया जाएगा।
    1. प्रथम अपीलेन्ट अधिकारी, आयुक्त, राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकार, जयपुर।
    2. द्वितीय अपीलेन्ट अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर।

16. बोली दाता द्वारा उक्त कार्य में नियुक्त कर्मचारियों का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिये । सेवा प्रदाता द्वारा कर्मचारियों के पहचान की सूचना यथा ड्राईविंग लाइसेंस, बैंक खाता विवरण, अनुभव प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र उसका फोटो व चरित्र इत्यादि प्रमाण–पत्र सत्यापन कर उन्हें कार्य में नियुक्त करना चाहिये । विभाग द्वारा यदि किसी कर्मचारी को अनुशासनहीनता/दुराचरण इत्यादि कारणों से अयोग्य करार दिया जाता है तो बोली दाता को उसे कार्य से तत्काल हटाना होगा । बोली दाता उसके कर्मचारियों की समस्त गतिविधियों के लिये जिम्मेदार होगा ।
17. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 72 के तहत विभाग को किसी बोली/समस्त बोलियों को अस्वीकार करने/बोली प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार होगा।
18. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 73 के तहत विभाग के पास बिना कारण बताये कार्य की मात्रा में कमी/वृद्धि करने का अधिकार सुरक्षित है। इसके लिये बोली में उल्लिखित दर यथावत प्रभावी रहेगी।
19. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 74 के तहत बोली दर समान प्राप्त होने पर उपापन की विषय वस्तु का विभाजन एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य किया जा सकता है।
20. उक्त बिड डॉक्यूमेन्ट का कोई प्रावधान यदि Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013 से भिन्न पाया जाता है तो Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013 के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
21. सफल बोली दाता से 500 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाएगा। जिसका व्यय सफल बोलीदाता को वहन करना होगा।

हस्ताक्षर मोहर एवं दिनांक सहित

राजस्थान सरकार

राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण

इन्दिरा गांधी नहर भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर
ई–मेल– cerrbwrpa@gmail.com फोन नम्बर– 0141–22274413

बिड सूचना संख्या 1/2017–18

(Item No.2)

परिशिष्ट – III (वित्तीय बोली)

(बोली के साथ संलग्न करे)

विषयः– बिड सूचना संख्या 1/2017–18 हेतु प्रस्ताव।

मैं निम्न कार्यो हेतु मासिक आधार पर वित्तीय बोली के रूप में ऑफर प्रस्तुत करता हूँ।

क्र.सं.	प्रति कम्प्यूटर मय मशीन विद् मैन प्रशिक्षित कम्प्यूटर ऑपरेटर	दर प्रतिमाह	सर्विस टैक्स (यदि लागू है तो)
1.			
2.			
3.			
4.			

नोट –

1. उक्त दरे सभी कर सहित प्रस्तुत की गई हैं। किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की जाएगी।
2. दरें एक वर्ष भर के लिए मान्य होगी। जिसे आपसी सहमति से आगे बढाया जा सकता है।
3. कार्मिकों की संख्या में कमी अथवा बढ़ोतरी हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

दिनांक

हस्ताक्षर मोहर एवं दिनांक सहित